कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 22.07.2021

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण
घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ वांछित 03 शातिर अभियुक्त भी गिरफ्तार

आज दिनांक 22.07.2021 को क्राइम ब्रान्च व थाना कैण्ट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे मु.अ.स.37 7/2021 धारा 147,307,504,506,34,120बी भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. आजाद सोनकर पुत्र श्री राजेन्द्र सोनकर पता म0न0 एस 17/330 सी-2 रोडवेज पानी टंकी मलदहिया थाना सिगरा वाराणसी 2. शनि कनौजिया पुत्र राज कुमार कनौजिया पता एस 23/62 ढेलवरिया चौकाघाट थाना जैतपुरा वाराणसी 3.विमलेश कुमार उर्फ सोनू पुत्र कल्लू पता एम-8 लच्छीपुरा कलोनी नदेसर थाना कैण्ट वाराणसी को इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से चौकाघाट से पाण्डेयपुर जाने वाली रोड साइड के पास से समय 15.10 बजे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टैम्पो नं 0UP65ET 9767 बरामद करने में सफलता प्राप्त की। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण - दिनांक 13.07. 2021को रात बजे राहुल राज 11को जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये अभियुक्तों द्वारा गोली मार दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी/पिता श्री राजकुमार पुत्र बसन्त लाल द्वारा थाना कैण्ट में लिखित तहरीर दिया गया जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट श्री अभियुक्त मांगलिक द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर शातिर अभियुक्त आजाद सोनकर ने बताया कि मै चौकाघाट रोडवेज से नम्बर टेकरी का काम करता था। मैने एक आफिस श्रीराम कम्पलेक्स रोडवेज के पास ली थी। जिसे राहुल राज ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था तथा मेरे ऊपर थाना सिगरा में अभियोग पंजीकृत करा दिया था तथा मेरे हर काम में दखल देता था। रोडवेज पर कई बस संचालको को 20% के कमीशन पर सवारियों को बसो में टिकट के माध्यम से पहुंचाया जाता था जिससे मुझे काफी पैसा मिलता था कुछ महीने पहले से राहुल राज भी यही कार्य करने लगा तथा मुझे दिक्कत पैदा करने लगा। मैनेंदिन पहले मंयक गुप्ता 15

क ी सहायता से पुनः नन्दी ट्रेवल्स चौकाघाट लकड़मण्डी हनुमान जी के मंदिर के बगल में खोला तो वहां भी राहुल राज के लड़के परेशान करने लगे तो मैने आजिज आकर योजना बनायी कि राहुल राज का काम लगा दिया जाय। इस काम के लिये मंयक ने विमलेश कुमार उर्फ सोनू बाल्मिकी को फोन द्वारा चौकाघाट बुलाया जहाँ पर मै मंयक व सोनू तथा शनि कन्नौजिया , आजाद , ने मिलकर योजना बनायी और तय हुआ कि सोनू तुम्हारे ऊपर भी राहुल राज नें फर्जी मुकदमा लिखवा दिया था। तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। इसलिए तुम हम लोगो को सूचना दोगे कि राहुल राज आफिस से कब निकलता है क्योंकि तुम उसके आफिस के सामने ही रहते हो तो सोनू तैयार हो गया। दिनांक 13.07.2021 को प्लानिंग के तहत सोनू ने मंयक को राहुल राज की फोन से लोकेशन बतायी । आजाद संदीप व मंयक जो आटो चला रहा था मंदिर के पास ,खड़े थे ।जैसे ही राहुल राज स्कूटी से अपने आफिस से घर के लिये निकला तो हमलोगो ने पीछा करते हुये कपूर टाकिज के पास स्कूटी को धक्का मारने का प्रयास किये तो राहुल राज लडखड़ा गया तो हमलोगो में से संदीप सोनकर ने राहुल राज को गोली मार दी जब वह भागने लगा और किसी के घर में घुस गया तभी आस पास की भीड़ जमा होने लगी तो हमलोग डर कर आटो से चौकाघाट की तरफ भाग निकले और आटो को शनि कन्नौजिया को देकर छिपाने के लिये मंयक के ससुराल पहुंचवा दिया। हमलोग इधर उधर छुप छुपकर रह रहे थे आज चौकाघाट से छत्तीसगढ़ जाने के फिराक में थे कि आपलोगो द्वारा हमलोगो को पकड़ लिया गया तथा मंयक गुप्ता व संदीप सोनकर मौके का फायदा उठाकर भाग गये ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1.आजाद सोनकर पुत्र श्री राजेन्द्र सोनकर पता म0न0 एस 17/330 सी-2 रोडवेज पानी टंकी मलदहिया थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

2. शनि कनौजिया पुत्र राज कुमार कनौजिया पता एस 23/62 ढेलवरिया चौकाघाट थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष

3.विमलेश कुमार उर्फ सोनू पुत्र कल्लू पता एम-8 लच्छीपुरा कलोनी नदेसर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

घटना में प्रयुक्त टैम्पो नं 0UP65ET 9767 बरामद ।

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

<u>आजाद सोनकर-</u>

1.मु0अ0सं0 188/2021 धारा 386/506 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

2. मु0अ0सं0 377/2021 धारा 147,307,504,506,34,120बी भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी

<u>शनि कनौजिया व विमलेश कुमार उर्फ सोनू-</u>

मु0अ0सं0 377/2021 धारा 147,307,504,506,34,120बी भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. श्री अभिमन्यु मांगलिक सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
2. निरीक्षक राकेश कुमार सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 टुन्नू सिंह चौकी प्रभारी नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
4. उ0नि0 बृजेश मिश्रा क्राइम ब्रांच मय टीम कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 दिवाकर वत्स सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी
6. का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम सर्किल कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 अखिलेश कुमार गिरी, का0 मनीष बघेल, का0 सचिन मिश्रा क्राइम टीम थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
8. का0 अजय प्रताप सिंह ,का0 धर्मेन्द्र कुमार पटेल , का0 उमेश कुमार भारती थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी